तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न्याय आपके द्वार दिनांक

पीथाराम **बनाम** मोतीलाल वगैरह

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 03/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
21.05.2018	वादी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया वादग्रस्त भूमि मौजा देसूरी के खसरा नम्बर 3106, 3107 कुल रकबा 1.89 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के बन्दोवस्त से पूर्व पुराने ख.सं. 268 मिन रकबा 15 बीघा रहे है। जिसमें से 12 बीघा भूमि वादी के पुराने कब्जे काश्त की भूमि है, परन्तु गलत रूप से गत खसरा संख्या 268 में से 15 बीघा भूमि भीका पुत्र गेमा जो प्रतिवादीगणों का दादा है, को किया गया। जबकि मौके पर कब्जा वादीगण का कदीमी चला आ रहा है अतः पुराने कब्जे के आधार पर भीका का आवंटन नहीं मानकर वादी को खातेदारी घोषित करने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड तथा नवीन बन्दोवस्त से पूर्व रेकार्ड का अवलोकन किया। यह वाद पुराने कब्जे के आधार पर पूर्व में आवंटित भीका पुत्र गेमा गरासिया को नहीं मानकर वादीगण ने अपनी खातेदारी घोषणा का अनुतोष मांगा है। जो कतई परिपोषणीय नहीं है। चूंकि वादग्रस्त भूमि गत रेकार्ड के अवलोकन से भीका पुत्र गेमा जों प्रतिवादीगण संख्या 1 का पिता/दादा के नाम आवंटित है व वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगणों के नाम बतौर पिता/दादा से प्राप्त है। गत रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि कभी भी वादी अथवा उसके पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं रही है अपितु पूर्व में सिंवायचक एवं आंवटन के पश्चात प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी रही है। पुराने कब्जे के आधार पर वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि वादी को पूर्व में भीका पुत्र गेमा को किये गये आवंटन से आपत्ति रही हो अथवा उसका कब्जा रहा हो, तो उसे नियमानुसार सक्षम न्यायालय में आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अथवा अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो नहीं कि गई। इस वाद के माध्यम से वादी अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। वाद विधि अनुसार वर्जित है। अतः वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 केम्प कोर्ट देसूरी में सुनाया गया। (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी